राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, मिड–डे–मील कार्यक्रम
नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार), प्रथम तल,
भवानी सिंह मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001
सम्पर्क : 0141 – 2221694, 2221960 (टेली/फैक्स)
ई मेल–rajmdm@rediffmail.com

मध्याह्न भोजन योजना – राजस्थान
Mid day Meal Scheme - Rajasthan

क्रमांक एफ 3(8)पराविं/एमडीएम/पी0डी0बकाया/2008/ 480 जयपुर दिनांकः 1.8.17

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
जिला समस्त।

विषयः–मिड डे मील की राशि हस्तान्तरण में ई–ट्रान्सफर व्यवस्था बाबत।
संदर्भः–विभाग का समसंख्यक पत्रांक क्रमांक 1066 दिनांक 11.12.2014 352 दिनांक 22.06.2015 453 दिनांक 11.08.2016 व 595 दिनांक 21.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार एक भी दिन मध्यान्ह भोजन बाधित नहीं होने के निर्देश दिये हुए है। विभागीय दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य स्तर सें जिला स्तर पर राशि प्राप्त होने के पश्चात् सात दिवस के अन्दर ई–ट्रांसफर के जरिये विद्यालयों में राशि हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित किया हुआ है फिर भी जिलो से विद्यालयों में राशि उपलब्ध नही होने की सूचनाए प्राप्त हो रही है/समाचार प्रकाशित हो रहे है।

अतः मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्यन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नही हो, इसलिए विभागीय दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चत की जाकर जिला स्तर से विद्यालयों को ई– ट्रांसफर के जरिये समय पर राशि का शीघ्र हस्तान्तरण सुनिश्चत किया जावें।

भवदीय

(वेद सिंह)
आयुक्त

Jr.Accountant/Accountant Data/N S Letter 2017
145